

प्रेषक,

समयबद्ध/शीर्ष वरीयता।

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
ननूरखेडा, देहरादून।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पत्रांक/अ०उ०/तीन(च)१९/१७४७-५०/सी.बी.एस.ई.सम्बद्धता/२०२५-२६ दिनांक ११ जून, २०२५

विषय- अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सी.बी.एस.ई. सम्बद्धता (मान्यता) नवीनीकरण के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक संज्ञान में आया है कि प्रदेश के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की सी०बी०एस०ई० सम्बद्धता (मान्यता) माह जून, २०२५ में समाप्त हो रही है, इस सम्बन्ध में कतिपय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों द्वारा पत्राचार के माध्यम से भी अवगत कराया गया है।

सूच्य है कि निदेशालय के पत्रांक/सेवायें-२/ सेवा०अराज०/ तीन-च/ ०२/५७५/ अ०उ०/२०२५-२६ दिनांक २२-०४-२०२५ के द्वारा समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनपदान्तर्गत संचालित राजकीय अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालयों की सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता नवीनीकरण हेतु प्रति विद्यालय की दर से अनुमानित व्यय विवरण निदेशालय को उपलब्ध कराये किन्तु अद्यतन अनुमानित व्यय विवरण निदेशालय को अप्राप्त है यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है।

जनपदों से अनुमानित व्यय विवरण प्राप्त न होने से वर्तमान में निदेशालय स्तर से धनराशि आवंटित की जानी सम्भव नहीं है। अतः प्रकरण की तात्कालिकता के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद में संचालित समस्त अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को तत्काल निर्देशित करें कि विद्यालय में उपलब्ध किसी निधि से ऋण लेकर सी०बी०एस०ई० नवीनीकरण हेतु तत्काल अग्रोत्तर कार्यवाही करें, धनराशि आवंटित होने पर उक्त ऋण का समायोजन सम्बन्धित निधि में किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता (मान्यता) नवीनीकरण होने के उपरान्त कुल नवीनीकरण राशि का बजट मांग पत्र तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सी०बी०एस०ई० से समयान्तर्गत नवीनीकरण न होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रधानाचार्य पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

भवदीय

डॉ०(मुकुल कुमार सती)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

पृ०सं०/अ०उ०/तीन(च)१९/१७४७-५०/सी.बी.एस.ई.सम्बद्धता/२०२५-२६ दिनांक उक्तांकित।
प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित:-

१. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पोड़ी/कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
२. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
३. समस्त प्रधानाचार्य, अटल उत्कृष्ट राजकीय माध्यमिक विद्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त निर्देशों के अनुरूप तत्काल अग्रोत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

निदेशक ११.६.२५

माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।